मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग

(13)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16/09/2015 को सम्पन्न शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की तेरहवीं बैठक (वर्ष 2015-16) का

कार्यवाही विवरण

शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की वर्ष 2015-16 की तेरहवीं बैठक दिनांक 16.09.2015 को प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
2.	श्री अनिरूद्ध मुखर्जी, सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
3.	श्री आर.के. खण्डेलवाल, मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) जल संसाधन विभाग

समिति द्वारा विषयवार लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं :-

खण्ड-एक

पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

1.0 शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की दिनांक 01.09.2015 को सम्पन्न हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

शासन स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की वर्ष 2015-16 की बारहवीं बैठक दि.01.09.2015 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

खण्ड-2

नए एजेण्डा आयटम

एजेण्डा आयटम क्र0-1

2 आर.आर.आर. अन्तर्गत जमुनिया जलाशय की नहर प्रणाली का सुदृढ़ीकरण लाईनिंग एवं सुधार कार्य। (द्वितीय आमंत्रण) (सिस्टम टेण्डर न0 3629)

यह निविदा का द्वितीय आमंत्रण है। निविदा की राशि रू. 10 करोड़ से कम होने से मूल्य समायोजन का प्रावधान नहीं है। निविदा में 5 प्रतिशत राशि परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

निविदा के प्रथम आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया था।

इस द्वितीय आमंत्रण में निविदा प्रपत्र पांच निविदाकारों द्वारा क्रय एवं प्रस्तुत किये गये। निविदा पूर्व अर्हता का निर्धारण प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03.09.2015 में किया गया। एक निविदाकार मेसर्स शिवदयाल कालरा, भोपाल औसत वित्तीय टर्नओवर निर्धारित से कम होने के कारण अनहर्तित पाए गए। अहर्तित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 03.09.15 को खोली गई। परिणाम निम्नानुसार है:-

प्रमुख अभियंता स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11.09.2015 ने पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होने एवं दर वर्तमान रुझानों के अनुरूप होने से निविदा स्वीकृत करने की अनुशंसा की है।

विचार विमर्श उपरान्त न्यूनतम दर के निविदाकार मेसर्स बलवीर प्रजापति, दतिया द्वारा निविदत्त दर जो यू.एस.आर 2009 पर प्राक्कलित लागत रू. 710.05 लाख से 13.87 प्रतिशत अधिक (रू. 8,08,53,393.50) है, को स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा अनुमोदित)

16.09.15

16/9/15
(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठा.क. — 2/1/31/बी/2014–15/1193 भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता .... जल संसाधन विभाग, ...

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/9/15
(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव
म.प्र. शासन,
जल संसाधन विभाग

10.05

710.05